न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री भैरूसिंह पुत्र कान सिंह उर्फ कानाजी, जाति राजपूत, निवासी ओरिया व अन्य – 3 (प्रार्थीगण अधि. श्री भूपेन्द्र सिंह जैन)		श्री रामसिंह पुत्र सोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ओरिया, आबूपर्वत व अन्य – 2 (अप्रार्थीगण अधि. श्री सौहन सेन)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2023

दिनांक 7 .7 .2025

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया मौजा ग्राम ओरिया , तहसील देलदर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नंबर 249/1 रकबा 0.4046 हैक्टेयर किस्म मगरी स्थित है। यह कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिताजी एवं अप्रार्थीगण के दादाजी श्री कानाजी उर्फ कान सिंह का पुश्तैनी कब्जा काश्त था। अप्रार्थीगण के पिता श्री सोहन सिंह श्री कानाजी के ज्येष्ट पुत्र होने से श्री कानाजी द्वारा अप्रार्थीगण के पिताजी के नाम से उक्त भूमि एलोटमेन्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया गया था। जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त खसरा नं. 249/1 की 0.4046 हैक्टैयर भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिताजी के नाम से किया गया था। उस समय सभी प्रार्थीगण नाबालिग थे एवं मात्र अप्रार्थीगण के पिताजी बालिग थे जिनकी उम्र भी उस समय मात्र 19 वर्ष थी जिससे स्पष्ट है कि स्व. कानाजी उर्फ कान सिंह द्वारा अप्रार्थीगण के पिताजी श्री सोहन सिंह बालीग होने से उनके नाम पर एलोटमेन्ट करवाया गया था। यह कि खसरा नंबर 249/1 की कृषि भूमि पुश्तैनी कब्जे की कृषि भूमि है। यह कि उक्त खसरा नंबर 249/1 की भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिताजी संयुक्त रूप से प्रारंभ से बराबर हिस्से पर कब्जा है एवं मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिताजी के पशु बाड़े अलग अलग निर्मित है जिनका उपयोग निरन्तर आज तक सभी शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा एवं एतराज के करते आ रहे है। यह कि दिनांक 12.09.2023 को अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 कुछ गुजरात के व्यक्तियों को वादग्रस्त कृषि भूमि पर लाए एवं भूमि विक्रय करने हेतु दिखाई। प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने वादग्रस्त भूमि उक्त व्यक्तियों को विक्रय करने का ईकरार भी कर लिया है एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी दे रहे है। वाद में दर्ज तमाम तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि विक्रय करने का कोई भी विधिक अधिकार नही है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिताजी एवं अप्रार्थीगण के दादा श्री कानाजी के पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है एवं मात्र राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण के पिता सोहन सिंह ज्येष्ठ पुत्र होने से उनके नाम एलोटमेन्ट करवाया गया था, अप्रार्थीगण को उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे उपयोग उपभोग की पुश्तैनी भूमि है से प्रार्थीगण को जबरन बलपूर्वक बेदखल करने एवं विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि खसरा नंबर 249/1 रकबा 0.4046 हैक्टेयर किस्म मगरी की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी[illegible]पुश्तैनी कृषि भूमि नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व अप्रा[illegible] के कब्जे आधिपत्य व खातेदारी की थी जिनकी मृत्यु बाद उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या [illegible] से 03 के खातेदारी की है जिस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का ही कब्जा आधिपत्य उक्त सोहनसिंह के जीवनकाल [illegible]। यह कि उक्त भूमि पर कानाजी का कब्जा काश्त होता तो एल[illegible]न्ट भी उनके नाम पर हु[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

यह कि उकत भूमि में मौके पर जो पशु बाड़े वगैरह बने हुए है वे सभी अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के ही है जिन्हे अप्रार्थी ने ही बनाया हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

स्टेट का जवाब प्राप्त। जवाब अंकन है कि ग्राम ओरिया के खाता संख्या 427 , खसरा संख्या 249/1 रकबा 0.4046 हैक्टेयर किस्म मगरी सोहनसिंह पुत्र काना जाति राजपूत के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम ओरिया में खाता संख्या 427, खसरा संख्या 249/1 रकबा 0.4046 हैक्टेयर किस्म मगरी स्थित है।

हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के अनुसार उनका हक स्पष्ट नही हो रहा है न ही प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। पुराने कब्जे को साबित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हो रहा है।
2. सुविधा का संतुलन :– ग्राम ओरिया में खाता संख्या 427, खसरा संख्या 249/1 रकबा 0.4046 हैक्टेयर किस्म मगरी प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नही है। अतः रेकर्ड के आधार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रहें।
3. अपूर्तनीय क्षति :– चूंकि वर्तमान में उक्त विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नही है। अतः प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थीगण से हो यह साबित में प्रार्थीगण असफल रहें है।

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की रिकॉर्डेड खातेदारी न होकर अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की रिकॉर्डेड खातेदारी न होकर अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

सहायक कलक्टर आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:17:25 IST
Reason: SelfAttested